न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर

बइजलास दिव्या (आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. 06/2024

अनुवान फूलाराम आदि बनाम भागीरथ आदि

दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 16/05/2025

1. फूलाराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. हरिराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू —

—वादीगण

बनाम

1. भागीरथ पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. किशना पुत्री उमाराम पत्नी बलराम जाति जाट निवासी गौरीसर तहसील रतनगढ जिला चूरू
3. तीजां पुत्री उमाराम पत्नी तिलोराम जाति जाट निवासी अजतीसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. सोना पुत्री उमाराम पत्नी मालूराम जाति जाट निवासी नाकरासर तहसील एवं जिला चूरू
5. संतोष पुत्री अर्जनराम पत्नी हरचन्दराम जाति जाट निवासी जासासर तहसील एवं जिला चूरू
6. राजू पुत्री अर्जनराम पत्नी नोपाराम जाति जाट निवासी जासासर तहसील एवं जिला चूरू
7. सोहनी पुत्री अर्जनराम पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी जासासर तहसील एवं जिला चूरू
8. सीता पुत्री अर्जनराम पत्नी बिड़दाराम जाति जाट निवासी नाकरासर तहसील एवं जिला चूरू
9. सुल्तानाराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
10. बलराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
11. रामूराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
12. जगदीश पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
13. गोगी पुत्री भूराराम पत्नी लीछूराम जाति जाट निवासी गुसाईसर तहसील रतनगढ जिला चूरू
14. सुरेन्द्र पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी गौरीसर तहसील रतनगढ जिला चूरू
15. बनवारी पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी गौरीसर तहसील रतनगढ जिला चूरू
16. ताराचन्द पुत्र बलराम जाति जाट निवासी गौरीसर तहसील रतनगढ जिला चूरू
17. हरिराम पुत्र बलराम जाति जाट निवासी गौरीसर तहसील रतनगढ जिला चूरू
18. बीरबलराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी सेहला तहसील रतनगढ जिला चूरू
19. लिछमा पत्नी रामूराम जाति जाट निवासी बीनासर तहसील एवं जिला चूरू
20. सोहनराम पुत्र नोपी पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी गुसाईसर तहसील रतनगढ जिला चूरू
21. भींयाराम पुत्र नोपी पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी गुसाईसर तहसील रतनगढ जिला चूरू
22. मूलाराम पुत्र नोपी पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी गुसाईसर तहसील रतनगढ जिला चूरू
23. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू।

— प्रतिवादीगण —

उपस्थितिः

1. श्री महावीर प्रसाद नेहरा वास्ते वादीगण
2. श्री भगवती प्रसाद साण्डेला वास्ते प्रतिवादी सं. 1 ता 22
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं. 23

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के पूर्वज भूराराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी सारसर के नाम से खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 264 तादादी 7.3900 हैक्टेयर रोही मोजा सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू कृषि भूमि ख0नं0 70 तादादी 11.2047 हैक्टेयर रोही मौजा धोधलिया तहसील एवं जिला चूरू, कृषि भूमि ख0 नं0 292 तादादी 9.9896 हैक्टेयर रोही मोजा पंचारा उर्फ अमरपुरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर में स्थित रही है। वादीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

प्रतिवादीगण सभी स्व0 भूराराम के वारिसान है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वादगत कृषि भूमियों का आपस में मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार व्यवहारिक बंटवारा कर रखा है और उसी अनुसार मौके पर लगातार काश्त करते आ रहे हैं। मौके पर किये गये व्यवहारिक बंटवारा के अनुसार कृषि भूमि ख0नं0 264 तादादी 7.3900 हैक्टेयर रोही मौजा सारसर वादीगण के हिस्से में आई हुई कृषि भूमि है, जिसको वादीगण ही लगातार काश्त करते आ रहे है। वादगत कृषि भूमि वादीगण के दादा स्व0 भूराराम की खातेदारी कृषि भूमि होने से वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 22 के नाम दर्ज हो गई। इसलिए वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दूरूस्त करवाकर वादगत कृषि भूमि ख0नं0 264 तादादी 7.3900 हैक्टेयर रोही सारसर वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहते है। जिसके लिए यह दावा प्रस्तुत किया गया है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 ता 22 को कहा एवं कहलवाया कि वो वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड तहसील कार्यालय चलकर दुरूस्त करवा लेवे तो वे टालमटोल करते रहे और आखिरकार दिनांक 25.12.2023 को बमुकाम सारसर तहसील सरदारशहर में मानने से साफ इनकार हो गए लिहाजा यही तारीख बिनाए मुखास्मत दावा है और बिनाए दावा वादीगण की कब्जा काश्त की कृषि भूमि होने से वादीगण को हर समय हासिल है।

वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया कि घोषित किया जावे कि कृषि भूमि ख0 नं0 264 तादादी 7.3900 हैक्टेयर रोही मोजा सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दूरूस्त कर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 22 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद साण्डेला ने वकालतनामा एवं इकबाल जबाब दावा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 23 पैरोकार राज को बार बार अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब पैरोकार राज बंद किया गया। अतः तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं हुई। पत्रावली वास्ते बहस मुकरर्र की गई।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण के पूर्वज भूराराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी सारसर के नाम से खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 264 तादादी 7.3900 हैक्टेयर रोही मोजा सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू कृषि भूमि ख0नं0 70 तादादी 11.2047 हैक्टेयर रोही मौजा धोधलिया तहसील एवं जिला चूरू, कृषि भूमि ख0 नं0 292 तादादी 9.9896 हैक्टेयर रोही मोजा पंचारा उर्फ अमरपुरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर में स्थित रही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी स्व0 भूराराम के वारिसान है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वादगत कृषि भूमियों का आपस में मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार व्यवहारिक बंटवारा कर रखा है और उसी अनुसार मौके पर लगातार काश्त करते आ रहे हैं। मौके पर किये गये व्यवहारिक बंटवारा के अनुसार कृषि भूमि ख0नं0 264 तादादी 7.3900 हैक्टेयर रोही मौजा सारसर वादीगण के हिस्से में आई हुई कृषि भूमि है, जिसको वादीगण ही लगातार काश्त करते आ रहे है। वादगत कृषि भूमि वादीगण के दादा स्व0 भूराराम की खातेदारी कृषि भूमि होने से वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 22 के नाम दर्ज हो गई। इसलिए वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दूरूस्त करवाकर वादगत कृषि भूमि ख0नं0 264 तादादी 7.3900 हैक्टेयर रोही सारसर वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

घोषित करवाना चाहते है। जिसके लिए यह दावा प्रस्तुत किया गया है। कृषि भूमि ख0 नं0 264 तादादी 7.3900 हैक्टेयर रोही मोजा सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दूरूस्त कर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वादी के वाद का समर्थन करते हुए वादी डिकी करने में अनापति होना जाहिर किया।

वकील वादीगण, प्रतिवादीगण व पैरोकार राज के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया, वादगत कृषि भूमि का राजस्व अभिलेख जमाबन्दी व नक्शों को अवलोकन किया गया। कृषि भूमि ख0 नं0 264 तादादी 7.3900 हैक्टेयर रोही मोजा सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू के वादीगण खातेदार एवं काबिज काश्तकार होना प्रमाणित है। चूंकि दावा का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि कृषि भूमि ख0 नं0 264 तादादी 7.3900 हैक्टेयर रोही मौजा सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू के वादीगण ब.हि.ब. खातेदार एवं काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाकर निर्णय आदेश की पालना करें। भूमि रहन यथावत रहेगी। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 16/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D')

अज अदालत सहायक कलक्टर, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– दिव्या (आर. ए. एस.)
वादपत्र संख्या 06/2024

अनुवान फुलाराम आदि बनाम भागीरथ आदि
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महावीर प्रसाद नेहरा एडवोकेट एवं श्री भगवती प्रसाद साण्डेला, पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि कृषि भूमि ख0 नं0 264 तादादी 7.3900 हैक्टेयर रोही मौजा सारसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू के वादीगण ब.हि.ब. खातेदार एवं काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाकर निर्णय आदेश की पालना करें। भूमि रहन यथावत रहेगी।

....बीज............................
.........मुबलि ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह ... सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत...................
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	03	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	06	00	मिजान	01	00